ठअ फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

डॉ. धर्मेश हरकचन्द पुत्र श्री हरकचंद मुल्तानमल जैन
जाति जैन
निवासी सम्भव मेडीकोलीजल क्लिनिक ऑपोजिट
श्री सिद्धीविनायगर स्कूल हरीयाली गांव विखरोली पूर्व मुम्बई सुबुरबन जिला महाराष्ट्र।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं.५५ वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
17.05.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 08.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सिरोही स्टेट द्वारा जारी पट्टा संख्या 345 दिनांक 26.10.1948 की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 08.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सिरोही स्टेट द्वारा जारी पट्टा संख्या 345 दिनांक 26.10.1948 की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूंकि लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 143 दिनांक 11.02.2021 द्वारा अपीलांट को अवगत करवा दिया था कि जिला अभिलेख शाखा में उपलब्ध पट्टा बही रेकर्ड अनुसार पृष्ठ फटा होने से प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.05.27 12:57:00 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner